

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स:- 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(आर-553/2023)/अलेसे-III/1358 दिनांक :- 10/07/2025

कार्यालय आदेश

सुश्री रेणु बेड़ा, कनिष्ठ लेखाकार, रोल नं.-773562 (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर के पत्र क्रमांक 1099 दिनांक 22.05.2025 की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 एवं वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 के अनुक्रम में पारिवारिक कारण (माताजी के अस्वस्थ होने के कारण) से असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

दिनांक 26.05.2025 से 12.06.2025 तक कुल 18 दिवस

उक्त 18 दिवस के असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज सुश्री रेणु बेड़ा, कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें।

  
(बृजेश किशोर शर्मा)  
निदेशक एवं पदेन  
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.4(ई)(आर-553/2023)/अलेसे-III/1358 दिनांक :- 10/07/2025  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर ।
- 2 वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय ।
- 3 सुश्री रेणु बेड़ा, कनिष्ठ लेखाकार, (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर ।
- 4 उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
- 5 रक्षित/निजी पत्रावली ।

  
(सोमा कौशल)  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)